


# राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०

पी.सो.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ  
दूरभाष : 0522-2830130, 2830119 (कार्यालय)  
वेबसाइट : <https://sec.up.nic.in>  
ईमेल : [secup@up.nic.in](mailto:secup@up.nic.in),  
: [secup32@gmail.com](mailto:secup32@gmail.com)



## Stste Election Commission, U.P.

P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow.  
Phone : 0522-2830130, 2830119 (Off)  
Website : <https://sec.up.nic.in>  
E-mail : [secup@up.nic.in](mailto:secup@up.nic.in),  
: [secup32@gmail.com](mailto:secup32@gmail.com)

संख्या- 206/रा0नि0आ0अनु0-4/न0नि0/2023

लखनऊ: दिनांक : 09 अप्रैल, 2023

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास की अधिसूचना संख्या-971/9-1-2023-104 निर्वाचन/17 दिनांक 09 अप्रैल, 2023 एवं संख्या-972/9-1-2023-104 निर्वाचन/17 दिनांक 09 अप्रैल, 2023 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-45 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-13ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के महापौरों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन (जनपद महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार, जनपद बस्ती की नगर पंचायत भानपुर एवं मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित नगरीय निकायों को छोड़कर) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय सारिणी एवं संलग्न चरणों का विवरण के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ:-

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1.	जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक	10.04.2023 (सोमवार)	16.04.2023 (रविवार)
2.	निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक	11.04.2023 (मंगलवार)	17.04.2023 (सोमवार)
3.	नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	11.04.2023 से 17.04.2023 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	17.04.2023 से 24.04.2023 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
4.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	18.04.2023 (मंगलवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	25.04.2023 (मंगलवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
5.	अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय	20.04.2023 (गुरुवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	27.04.2023 (गुरुवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
6.	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	21.04.2023 (शुक्रवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	28.04.2023 (शुक्रवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
7.	मतदान का दिनांक व समय	04.05.2023 (गुरुवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक)	11.05.2023 (गुरुवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक)
8.	मतगणना का दिनांक व समय	13.05.2023 (शनिवार) (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13.05.2023 (शनिवार) (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

*(Handwritten signature)*

2. उपर्युक्त निर्वाचन के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले में उनके लिए सन्दर्भित समय सारिणी में निर्धारित दिनांक को सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे। उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रतिलिपि सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए तथा एक प्रतिलिपि आयोग को उसी दिन भेजेंगे। तत्क्रम में निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रों के निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना उनके लिए सन्दर्भित समय सारिणी में निर्धारित दिनांक को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेंगे।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा उनके द्वारा पदाभिहित किए गए समस्त नगरीय निकायों के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपर्युक्त कार्यक्रम का अपने से सम्बन्धित जिला तथा नगरीय निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार करायेंगे तथा उसकी प्रतियाँ सम्बन्धित कार्यालयों तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के अनुसार सम्पन्न होगा।
4. उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
5. देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिकरण/राज्य आपदा प्रबन्ध अधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी की गई सलाह का पालन करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पाँच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जाएगा, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढंग से कोविड स्थिति की निगरानी की जाएगी और आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू किया जाएगा।

मनोज कुमार  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)  
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 206 (1)/रा0नि0आ0अनु0-4/न0नि0/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
14. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद।

१२५२

15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस निर्वाचन समय-सारिणी को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
16. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय)/अपर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. समस्त नगर निगमों के नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22. निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कराने का कष्ट करें।
23. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड(ख) में दिनांक 09.04.2023 को प्रकाशित कर सम्बन्धित गजट की दस प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
24. सूचनाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे सभी समाचार पत्रों, दूरदर्शन/ आकाशवाणी केन्द्रों से सम्यक् रूप से प्रकाशित एवं प्रसारित करा दिया जाय।
25. समाचार सम्पादक आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
26. निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ प्रभारी, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, लखनऊ, रामपुर, रामनगर (वाराणसी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
27. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
28. आयोग के समस्त अधिकारी/ अनुभाग/ प्रकोष्ठ।
29. सूचना पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
30. गार्ड फाइल अनुभाग-4

आज्ञा से,

*25/4*  
09/04/2023  
(सुधा वर्मा)

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।